

# असाधारण

विधायी परिषिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 6 दिसम्बर, 2004

अग्रहायण 15, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1571 / सात-वि-1-1(क) 33-2004

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2004

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् विधेयक, 2004 पर दिनांक 3 दिसम्बर, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में भदरसा शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और  
प्रारम्भ

(2) यह 3 सितम्बर, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।-

(क) “परिषद्” का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश नदरसा शिक्षा परिषद से है;

(ख) “केन्द्र” का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिये निष्ठा की गई संस्था या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समरत परिवर्त आये भी सम्भिलित हैं;

(ग) “निदेशक” का तात्पर्य निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;

(घ) किसी संस्था के सम्बन्ध में “संस्था के प्रधान” का तात्पर्य उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक से है;

(ङ) “निरीक्षक” का तात्पर्य निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;

(च) “संस्था” का तात्पर्य राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर से है और इसके अन्तर्गत मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित और मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिये बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कोई मदरसा या ओरियन्टल कालेज भी है;

(छ) “विधायक” का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के किसी सदन के किसी सदरय से है;

(ज) “मदरसा शिक्षा” का तात्पर्य अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक अध्ययन, तिब, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र की शिक्षा से है और इसके अन्तर्गत विद्या की ऐसी अन्य शाखायें भी हैं जिन्हें समय-समय पर परिषद द्वारा विभिन्निष्ट किया जाय;

(झ) “अन्तर्रीक्षक” का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करते;

(ञ) “मान्यता” का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं में बैठने के लिये अव्याधियों को तैयार करने के प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गई मान्यता से है;

(ट) “उपनिदेशक” का तात्पर्य मदरसा शिक्षा के कार्य से प्रभारित उपनिदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश से है;

(ठ) “विनियम” का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ड) “रजिस्ट्रार” का तात्पर्य परिषद के रजिस्ट्रार से है;

(ढ) “केन्द्र अधीक्षक” का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं के संचालन और पर्यवेक्षण के लिये परिषद द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्भिलित है;

(ण) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा हो, “अनुचित साधन” का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता से या किसी रूप में लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहायता से, या किसी टेलीकॉन, वायरलेस या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य नक्त या जुगत के अप्राधिकृत प्रयोग से है।

3-(1) ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, लखनऊ में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद की स्थापना की जायेगी।

→ (2) परिषद एक नियमित निकाय होगी।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :-

(क) परम्परागत मदरसा शिक्षा के क्षेत्र का एक प्रख्यात मुस्लिम शिक्षाविद, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जो परिषद का अध्यक्ष होगा;

(ख) निदेशक, जो परिषद का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) प्रधानाचार्य, राजकीय ओरियन्टल कालेज, रामपुर;

(घ) एक सुन्नी मुस्लिम सदस्य, जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(ङ) एक शिया मुस्लिम सदस्य, जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(च) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का एक प्रतिनिधि;

(छ) सुन्नी मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था का एक प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(ज) शिया मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था का एक प्रधान, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(झ) सुन्नी मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं के दो अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(ञ) शिया मुस्लिम द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्थाओं का एक अध्यापक, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट संस्था का एक विज्ञान या तिब अध्यापक;

(ठ) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश का लेखा एवं वित्त अधिकारी;

(ड) निरीक्षक;

(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उपनिदेशक की पंक्ति से अनिम्न एक अधिकारी; जो सदस्य रजिस्ट्रार होगा।

(4) परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और नाम निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यह अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक रूप से गठन कर दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के निर्वाचन के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है।

(5)-(क) जहाँ राज्य विधान मण्डल में मात्र एक शिया सदस्य या मात्र एक सुन्नी सदस्य हो तो प्रत्येक का नाम-निर्देशन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ख) यदि सज्ज विधान मण्डल में कोई शिया सदस्य उपलब्ध न हो तो दो सुन्नी मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे विधायकों में से एक विधायक के नाम-निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जाएगा कि वह उस दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारणा करने से प्रविरत हो जाएगा जिस दिनांक से कोई शिया मुस्लिम विधायक परिषद् के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार सुन्नी मुस्लिम विधायकों के अनुपलब्धता की स्थिति में दो शिया मुस्लिम विधायकों को परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाएगा और ऐसे शिया विधायकों में से एक विधायक के नाम निर्देशन पत्र में यह उल्लिखित किया जायेगा कि वह किसी सुन्नी मुस्लिम विधायक द्वारा परिषद् के सदस्य के पद का शपथ किये जाने के दिनांक से परिषद् के सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(6) उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना के दिनांक को और से, ऐसे स्थापन के ठीक पूर्व कार्य कर रहे, अरबी और फारसी शिक्षा बोर्ड, एतदपश्चात, जिसे पूर्व में बोर्ड कहा गया है, विघटित हो जाएगा और ऐसे विघटन पर,-

(क) पूर्व परिषद् की सभी सम्पत्तियाँ और परिसम्पत्तियाँ परिषद् को अन्तरित और उनमें निहित हो जायेगी;

(ख) पूर्व परिषद् के सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएँ चाहे संविदात्मक हो या अन्यथा हो, परिषद् को अन्तरित हो जायेगी;

(ग) पूर्व परिषद् के सभी अधिकारी और कर्मचारी उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्त लाभों और अन्य विषयों के सम्बन्ध में उन्हों अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ जो ऐसे विघटन के ठीक पूर्व उन पर प्रयोग्य होते, परिषद् के अधिकारी और कर्मचारी हो जाएंगे, जब तक परिषद् के अधीन उनका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक उनके पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों में सम्यक् रूप से ऐसा परिवर्तन न कर दिया जाय जो उनके लिये अलाभकर न हो:

प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व परिषद् का कोई अधिकारी या कर्मचारी, ऐसे विघटन से तीस दिन की अवधि के भीतर तामील की गई, बोर्ड को सम्बोधित, नोटिस देकर परिषद् का अधिकारी या कर्मचारी न बनने के अपने विकल्प की सूचना दे सकता है और ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, उस समय तक उसके द्वारा धृत पद समाप्त हो जाएगा और उसकी सेवायें समाप्त हो जायेंगी और उसे प्रतिकर के रूप में उसके तीन मास के वेतन के समतुल्य धनराशि का भुगतान किया जाएगा।

4-राज्य सरकार परिषद् से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे परिषद् के सदस्य के रूप में उसका बना रहना जनहित के लिये हानिकर हो:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपरोक्त प्रकार से हटाने के पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

5-(1) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी :

प्रतिबन्ध यह है धारा 3 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) की दशा में, यह उपधारा लान् नहीं होगी और अवधि का निर्धारण उक्त खण्ड के उपदन्धों के अनुसार किया जाएगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सज्ज सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अधिक समय के लिये इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।

(2) परिषद का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान उसके उपरान्त रिक्त हो जायेगा।

6—राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद के पुनर्गठन के लिये कार्यवाही करेगा।

7—(1) परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबच्चों के अध्यधीन रहते हुए वह अपनी बैठकों में कार्य संपादन करने के लिये जिसके अन्तर्गत बैठकों की गणपूर्ति भी है। ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनकी व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उपविधियों द्वारा की जाए।

(2) अध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में परिषद का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। जब अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो खण्ड (घ) या खण्ड (ड) के अधीन निर्वाचित कोई ज्योष्ठ सदस्य अध्यक्ष होगा और वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

8—परिषद या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही परिषद या समिति में केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

9—इस अधिनियम के अन्य उपबच्चों के अधीन रहते हुए परिषद की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) तहतानियां, फौकानियां, मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल, फाजिल और अन्य पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विनियम द्वारा विहित करना;

(ख) अरबी-फारसी मदरसों में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट स्तर के कक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उनके लिये अवधारित पाठ्यक्रम के अनुसार अरबी, उर्दू और फारसी के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें और शिक्षण सामग्री विनियम द्वारा विहित करना;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तकों, अन्य पुस्तकों और शिक्षण सामग्री की, उनमें से सामग्री का पूर्णतः या अंशतः या अन्यथा अपवर्जन करके, पाण्डुलिपि तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना;

(घ) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति के लिये मानक विहित करना और नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना;

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य विद्या सम्बन्धी सम्मान प्रदान करना, जिन्होंने—

(एक) ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदान की गयी हो;

(दो) विनियमों में निर्धारित की गयी शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(च) मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल पाठ्यक्रमों की भरीकाओं का संचालन करना;

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भर जाना

परिषद की बैठक

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियां अविधिमान्य न होगी

परिषद का कृत्य

- (छ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजन के लिये संस्थाओं का मान्यता प्रदान;
- (ज) अपनी परीक्षाओं में अध्यर्थियों को प्रवेश देना;
- (झ) ऐसा शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किया जाय;
- (झ) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना;
- (ट) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी शैति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद अवधारित करें;
- (ठ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना;
- (ड) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे वह सम्बन्धित हो;
- (ढ) बजट में सम्प्रिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि वह उचित समझे तो उन पर अभिव्यक्त अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना;
- (ण) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बारों को करना जो फाजिल तक की मदरसा शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में गठित किये गये परिषद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित हो;
- (त) मदरसा शिक्षा की किसी शाखा अर्थात् दारूल उलूम, नव उलूम, लखनऊ, मदरसा बाबुल इल्म, मुबारकपुर, आजमगढ़, दारूल उलूम, देवबन्द, सहारनपुर, ओरियण्टल कालेज, रामपुर या ऐसी किसी अन्य संस्था में जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे, अनुसंधान या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना;
- (थ) तहतानियां या फौकानियां स्तर तक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर कम से कम तीन सदस्यों से बनी एक समिति का गठन करना और ऐसी समिति को अपने नियंत्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की शक्ति प्रत्यायोजित करना,
- (द) ऐसी सभी कार्यवाई करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी शक्ति के प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन या कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक या आनुषंगिक हो।
- परिषद की शक्तियां**
- 10—(1) परिषद को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए वे सभी शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों।
- (2) विशिष्टतया तथा पूर्वाक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद के निम्नलिखित अधिकार होंगे :—
- (एक) किसी ऐसे अध्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में ढैठने से वर्जित कर देना जिसे,
- (क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, या
- (ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना-पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का, या
- (ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण का, या
- (घ) ऐसी परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का, या
- (ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया हो।

(दो) खण्ड (एक) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या कृत्यों के लिए या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद् की किसी सदमावनापूर्ण भूल कारण किसी अथवार्थी का परीक्षाफल रद्द करना।

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए शुल्क नियत करना और उसकी वसूल करने की रीति विहित करना,

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इंकार करना जो—

(क) कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिए परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुंचती है, या

(ख) परिषद् द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती,

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेना जो कर्मचारीवर्ग, शिक्षण, उपस्कर या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद् के संतोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती,

(छ) परिषद् के नियमों या विनियमों या विनिश्चयों, अनुदेशों या निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में रास्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और परिषद् के नियमों और विनियमों या विनिश्चय, अनुदेशों या निदेशों को प्रवृत्त करने के लिए ऐसी शीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा विहित की जाय,

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाए और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो, और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना, जो किसी संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सके।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा।

11—धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (चार) के उपखण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी उच्च कक्षा के लिए किसी नये विषय या विषय समूह में किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है।

किसी नये विषय में  
या उच्च कक्षा के  
लिये किसी संस्था  
को मान्यता

दान का उचित  
उपयोग

12—जहां किसी संस्था द्वारा अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहां इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया हो और राज्य सरकार द्वारा उसी रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में नकद, अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक लेजर खाते में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राज्य सरकार की  
शक्ति

13—(1) राज्य सरकार को परिषद् द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद् को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद् सम्बन्धित हो, परिषद् को अपने विचार सूचित करने का अधिकार होगा।

(2) परिषद्, राज्य सरकार को उसके पत्र व्यवहार पर प्रस्तावित की गई अथवा की जाने वाली ऐसी कार्यवाही, यदि कोई हो, को सूचित करेगी।

(3) यदि परिषद् युक्ति-युक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के लिए उसके कार्यवाही न करे तो निर्धारित अवधि में परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझे और परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(4) जब कभी राज्य सरकार की गयी में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह परिषद् को पूर्णती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना इस अधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे और विशिष्टता ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विरुद्धन या रचना कर सकती है और तदनुसार परिषद् को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

→ 14—इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के योग्य बनाने के प्रयोजनार्थ परिषद्, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

15—(1) परिषद् के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह अवलोकित करना सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समरूप अधिकार प्राप्त होंगे।

(2) परिषद् का अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जाए।

→ 16—परिषद् का रजिस्ट्रार, परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विनियम द्वारा विहित किये जाएँ और विशेषतया, वह—

(क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा,

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाय जिनके लिए वे स्वीकृत या प्रदिष्ट की गई हो,

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(घ) परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो,

(ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित की जाये।

17—(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगी, अर्थात्—

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षाफल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति

परिषद् के अधिकारी  
और अन्य कर्मचारी

परिषद् के अध्यक्ष  
की शक्तियां और  
कर्तव्य

रजिस्ट्रार की  
शक्तियां और  
कर्तव्य

समितियों और  
उप समितियों की  
नियुक्ति और गठन

परिषद् द्वारा बनाये गये विनियमों का प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

प्रशासन की योजना

21-(1) धारा 20 के अधीन समस्त विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को उपान्तरण सहित या रहित अनुमोदित कर सकती है।

22-(1) किसी विधि, दस्तावेज या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य लिखित में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन की योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गई हो या उसके बाद में। प्रशासन की योजना द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायेगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा। संस्था के प्रधान और मुस्लिम अल्पसंख्यक के दो अध्यापक, जो ज्येष्ठता के अनुसार बारी-बारी से विनियम द्वारा विहित रीति से चयनित किये जायेंगे, प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे जिन्हें मत देने का अधिकार होगा।

(2) जब कभी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो, वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा।

(3) किसी विनियम के अधीन रहते हुए, प्रशासन की योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति की अलग-अलग शक्ति, कर्तव्य और कृत्यों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग-अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक कि विनियम में संस्थाओं के किसी वर्ग के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गई हो।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन की योजना परिषद् के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन की योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन परिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी संस्था का प्रबन्धन प्रशासन की योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के परिषद् के आदेश से व्यक्ति हो वहां राज्य सरकार प्रबन्धन के अभ्यावेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाये कि प्रशासन की योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह परिषद् को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त परिषद् तदनुसार कार्यवाही करेगी।

(6) प्रत्येक संस्था का प्रशासन और प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन की योजना के अनुसार किया जायेगा।

(7) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त संस्था के मामले में, प्रशासन की योजना का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसे, मान्यता के लिये आवेदन पत्र के साथ ऐसे प्रारम्भ से छः मास के भीतर परिषद् को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(8) यदि कोई संस्था उप धारा (7) के उपबन्धों का, उसके लिए उपबन्धित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहती है तो परिषद् ऐसी संस्था से, लिखित नोटिस द्वारा, तीन मास की अग्रतर अवधि के भीतर प्रशासन की योजना को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व संस्था द्वारा किसी अभ्यावेदन पर परिषद् अपने विवेक से तीन मास की अवधि किन्तु उससे अधिक नहीं, के लिये अग्रतर विस्तार की अनुमति दे सकती है और संस्था की प्रबन्ध समिति ऐसी अग्रतर बढ़ाई गई अवधि में इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करेगी।

(2) ऐसी समिति में केवल परिषद् के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इनका गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासंभव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

- (क) संस्थाओं का प्रधान,
- (ख) संस्थाओं के अध्यापक,
- (ग) शिक्षाविद् :

प्रतिवर्ष यह है कि परिषद् का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक समिति का सदस्य नहीं होगा और समिति के सदस्यों के कार्यकाल परिषद् की सदस्यता की समाप्ति के साथ समाप्त हो जायेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त परिषद् ऐसी अन्य समितियां या उपसमितियां, जो विनियम द्वारा विहित की जाय, नियुक्त कर सकती हैं।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उपसमितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्तों पर होगा, जो विनियम द्वारा विहित किये जायं।

18-परिषद्, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि विनियम बनाने की शक्ति के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा भी ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें निर्दिष्ट की जाय, किया जा सकता है।

19-केन्द्र अधीक्षक और अन्तर्रीक्षक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

20-(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है।

(2) विशेषतया पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है। अर्थात् :-

- (क) समितियों और उप समितियों का गठन उनकी शक्ति और कर्तव्य,
- (ख) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना,
- (ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्तें,
- (घ) समस्त उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम,
- (ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं और अनुसंधान कार्यक्रम में प्रविष्टि किये जायेंगे और उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के पाने के पात्र होंगे,
- (च) परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश एवं प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क,
- (छ) परीक्षाओं का संचालन,
- (ज) परिषद् की परीक्षाओं के संबंध में परीक्षकों, परिषकारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तर्रीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्ति और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें,
- (झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्टि किया जाना और मान्यता का वापस लिया जाना,
- (झ) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके।

प्रत्यायोजन की शक्ति

केन्द्र अधीक्षक और अन्तर्रीक्षक लोक सेवक होंगे

परिषद् का विनियम बनाने की शक्ति

23—इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए किसी संस्था के प्रधान, अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियम के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे।

संस्था के प्रधान, अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

24—(1) किसी संस्था के प्रधान अध्यापक और अन्य कर्मचारी ऐसी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसी विनियम द्वारा विहित की जायं और प्रबन्ध समिति और यथा स्थिति ऐसी संस्था के प्रधान, अध्यापक या कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियम से असंगत हो शून्य होगा।

(2) उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियम में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, जिसके अन्तर्गत जांच का निलम्बन, लम्ब या अपूर्णता नैतिक अधमता से अन्तर्गत किसी अपराध के लिये किसी दाण्डक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन समिलित है, तथा निलम्बन की अवधि के लिए भत्ते और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना समिलित है।

(ख) वेतनमान और वेतनों का भुगतान,

(ग) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ, और

(घ) कार्य और सेवा के अभिलेख का रखः जाना।

25—परिषद् के या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के पदेन सदस्यों से, भिन्न अन्य सदस्यों में से होने वाली आकस्मिक समस्त रिक्तियां यथाशाक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी आकस्मिक रिक्ति के लिए निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई हो।

आकस्मिक रिक्तियां

26—(1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विनियमों से संगत उपविधियां बना सकती है, जिनमें—

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति सृजित करने के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय,

(ख) ऐसी समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों के लिए व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके,

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था न की गयी हो।

(2) परिषद् और उसकी समितियां, परिषद् या समिति के सदस्यों को, परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और बैठकों में विचार किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेंगी।

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनायी गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन का निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेंगी।

27—राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति और उप समिति या परिषद् या किसी समिति या उपसमिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

परिषद् और समितियों का उपविधियां बनाने की शक्ति

सद्भावना से वि गये कार्यों के लिए संरक्षण

न्यायलयों की  
अधिकारिता पर  
सेक

28—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग  
परिषद् या उसकी किसी समिति या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या  
निर्णय पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

परिषद की निधि

29—(1) परिषद की अपनी निधि होगी और परिषद की समरत प्राप्तिया  
उसमें जमा की जायेगी और परिषद के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते  
हुए और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद को इस  
अधिनियम द्वारा प्रतिकूल उद्देश्यों या प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह  
उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी।

लेखा और लेखा  
परीक्षा

30—(1) परिषद, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और  
ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे  
वार्षिक लेखा विवरण पत्र तैयार करेगी।

(2) परिषद एक वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य  
सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी  
जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद के लेखे और उन  
पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अग्रसारित किये जायेंगे।

कठिनाइयों को दूर  
करने की शक्ति

31—(1) यदि, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई  
कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो  
इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो कर सकती है जो कठिनाइयों को  
दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के  
दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की  
उपधारा (1) के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार  
लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अध्यादेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा  
बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

नियम बनाने की  
शक्ति

32—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को  
कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और  
अपवाद

33—(1) उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2004 एतदद्वारा  
निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के  
अधीन किया गया कोई कार्य या की मई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के  
अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी स्तरवान  
समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 12  
सन् 2004

## उद्देश्य और कारण

शिक्षा संहिता के पैरा 55 में रजिस्ट्रार अरबी-फारसी परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रदेश में अरबी-फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने और ऐसे मदरसों की परीक्षायें संचालित करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। इन मदरसों का प्रबन्ध शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता था। किन्तु वर्ष 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के सृजित हो जाने के फलस्वरूप ऐसे मदरसों से सम्बन्धित समस्त कार्य शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप मदरसों से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश और रजिस्ट्रार/निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा, उत्तर प्रदेश के नियंत्रण में किया जा रहा है। अरबी फारसी मदरसों का प्रशासन अरबी फारसी मदरसा नियमावली, 1987 के अधीन चलाया जा रहा था किन्तु चूंकि उक्त नियमावली किसी अधिनियम के अधीन नहीं बनाई है, अतएव उक्त नियमावली के अधीन मदरसों के संचालन में अनेक जटिलतायें उत्पन्न हो गईं। अतएव, मदरसों के संचालन में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने, उनमें गुणात्मक सुधार लाने, मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को अध्ययन की अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि एक विधि बनाकर राज्य में मदरसा शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुबंधिक विषयों की व्यवस्था की जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 सितम्बर, 2004 को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिशिखित करने के लिए पुरा स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,  
धर्मवीर शर्मा,  
प्रमुख सचिव।

No. 1571/VII-V-1-1(Ka)33-2004

Dated: Lucknow, December 6, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madarsa Shiksha Parishad Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 3, 2004:-

### THE UTTAR PRADESH BOARD OF MADARSA EDUCATION ACT, 2004 (U.P. ACT no. 29 of 2004)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

AN

ACT

to provide for the establishment of a Board of Madarsa Education in the State and for the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted-in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Short title and  
Act, 2004. commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on September 3, 2004

प्रेषण,

संख्या-४४६७/१५-१७-८७-५३ (५)-४६

श्री एल० एस० गौतम;

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक, उ० प्र०,

शिक्षा (शा० वि०) अनुमान-२,

शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।

शिक्षा (१७) अनुमान

लखनऊ, दिनांक २२ अगस्त, १९८७

विषय :—अरबी मदरसों की मान्यता नियमावली ।

महोदय,

अरबी तथा फारसी मरदसों की मान्यता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय अरेबिक तथा फारसी मदरसों की मान्यता के लिए संलग्न नियमावली (नान-स्टेट्युटरी) को अनुमोदित करते हैं ।

१—इस नियमावली के प्राविधान तुरन्त प्रभावी होंगे ।

२—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई० ११/२३७१/दस-४७, दिनांक ३१ जुलाई, १९८७ में प्राप्त उनकों सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

मवदीय,

एल० एस० गौतम,

संयुक्त सचिव ।

संख्या—३३६७ (१)/१५-१७-८७-५३ (५)/४६-तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

१—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

२—उप शिक्षा निदेशक, (सं०), उ० प्र०, इलाहाबाद ।

२—समस्त सम्मानीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

४—समस्त बेसिक शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

५—सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

६—रजिस्ट्रर, अरेबिक मदरसाज, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

७—परीक्षक, स्थानीय निधि लेसा, उत्तर प्रदेश ।

आड़ा से,

एल० एस० गौतम,

संयुक्त सचिव ।

## उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली

१—यह नियमावली उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों की  
मान्यता नियमावली कहलायेगी ।

२—यह नियमावली तुरन्त लागू होगी । इस नियमावली के लागू होने के  
उपरान्त इस विषय में जारी किये गये पूर्ववर्ती शासनादेश समाप्त माने  
जायेंगे ।

३—इस नियमावली का उद्देश्य अशासकीय अरबी तथा फारसी मदरसों के  
सुव्यवस्थित संचालन, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को सभय पर सम्पूर्ण  
वेतन का संदाय सुनिश्चित करना तथा उनके लिए सुरक्षित सेवा की अवधि  
की व्यवस्था करना है ।

४—बालक/बालिका (निस्वां) मदरसों की मान्यता हेतु निर्वाचित प्रपत्र में  
आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में) रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षाएं;  
उ० प्र०, इलाहाबाद के कार्यालय में विलम्बतम ३१ मार्च तक प्राप्त किये  
जायेंगे ।

५—आवेदन-पत्रों आदि के संबंध में शुल्क निम्नलिखित दरों के अनुसार होगा :—

क्रमांक	कार्यवाही का स्वारूप	उचित शुल्क
१	मान्यता के लिए आवेदन-पत्र	दस रुपये
२	मुश्ती (फारसी) तथा मौलवी (अरबी) परीक्षाओं की मान्यता शुल्क	पचास रुपये
३	आलिम (अरबी) कामिल (फारसी) तथा फाजिल (अरबी) परीक्षाओं की मान्यता शुल्क	सौ रुपये

६—एक बार में एक ही परीक्षा की मान्यता हेतु आवेदन-पत्र ग्रहण किये  
जायेंगे । उच्चतर स्तर की मान्यता तब तक देय न होगी जब तक कि उससे  
सम्बद्ध निम्न स्तर परीक्षा की मान्यता प्राप्त न हो और उसका विगत दो  
वर्षों का परीक्षाफल ५० प्रतिशत से कम न हो ।

७—आवेदन-पत्र के साथ नियम-५ में निर्दिष्ट शुल्क दिये जायेंगे । शुल्क की  
धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा लेखा शीर्फ "०२०२-शिक्षा—खेल, कला और  
पर्सनल—०१—सामान्य शिक्षा—२०१ प्राथमिक शिक्षा—०१—शिक्षा—फीस  
पर अन्य फीसें" के अधीन जमा की जायेगी ।

(अ) शिक्षकों का विवरण ।

(च) कक्षावार छात्रों की संख्या ।

9—शिक्षकों की नियुक्ति निम्नलिखित अर्हताओं के अनुसार की जायेगी :—

---

क००४० पदनाम

शैक्षिक अर्हताएँ

(द) छात्र संख्या तीन वर्षों की देखी जायेगी और तीन वर्षों की छात्र संख्या म से न्यूनतम छात्र संख्या पर ही अध्यापक देय होंगे।

(च) किसी विद्यालय में अध्यापकों के पदों का सूजन उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० के पुर्वानुसोदन से किया जायेगा।

नोट—तहतानिया और फौकानिया स्तर की छात्र संख्या का सत्यापन उप विद्यालय निरीक्षक (उद्धरण्यम्) द्वारा किया जायेगा। छात्र संख्या का यह सत्यापन संस्था के अभिलेखों तथा निरीक्षणों के आधार पर किया जायगा। आलिया स्तर की छात्र संख्या का सत्यापन रजिस्ट्रार, अरबी उच्च कारसी परीक्षाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं हेतु पंजीकृत व मम्मलित छात्रों की संख्या एवं उसके परीक्षाफल के आधार पर किया जायगा।

11—मदरसे का भवन होना चाहिए। भवन में विभिन्न कक्षाओं के लिये कमरे निम्नवत् होंगे :—

तहतानिया फौकानिया के लिए 5 कमरे  $20 \times 15$  फीट अथवा 300 वर्ग फीट के होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आलिया कक्षाओं के लिए  $20 \times 15$  फीट अथवा 300 वर्ग फीट के दो कमरे होने चाहिए।

कार्यालय, प्रधानाध्यापक तथा पुस्तकालय के लिये तीन कमरे  $15 \times 10$  फीट अथवा 150 वर्ग फीट माप के होंगे। कमरे की दीवारों परकी तथा छत पर स्लैप, टीन या खपरैल हो। पहले से बने भवन व किराये के भवन के संबंध में कुछ सीमा तक छूट दी जा सकेगी परन्तु संस्था के लिये 5 वर्ष के अन्दर मदरसा हेतु निजी भवन का निर्माण कराना आवश्यक होगा।

12—सभी छात्रों हेतु टाट पट्टी तथा छोटी डेस्क की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थायी मान्यता के लिये भी फौकानिया व आलिया कक्षा के छात्रों हेतु छोटी डेस्क आवश्यक हैं। प्रधानपट्ट, आलमारी, अध्यापक का आसन, अध्यापक की कुर्सी, मेज आदि तथा शिक्षण सामग्री की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जायेगी।

13—न्यूनतम छात्र संख्या आलिया कक्षाओं हेतु 8 व शेष कक्षाओं हेतु 60 कुल 68 आवश्यक होगी।

14—किसी भी मान्यता प्राप्त मदरसे में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकों का ही उपयोग किया जायेगा तथा उन्हीं पुस्तकों/पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जायेगी। यदि पुस्तकें उपलब्ध नहीं हों तो अन्यथा व्यवस्था की जा सकती है।

15—फौकानिया स्तर की कक्षाओं हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम की ₹ ० ५०० की वज्रा आलिया स्तर की प्रत्येक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम की ₹ ० ५००

(ख) चैकलिपन: विषय- अध्यापक/अध्यापिका (हिन्दी)	प्रशिक्षित इण्टर(हिन्दी साहित्य के साथ) तथा उद्दूँ का कार्यकारी ज्ञान।
(अंग्रेजी)	प्रशिक्षित इण्टर(अंग्रेजी साहित्य के साथ) तथा उद्दूँ का कार्यकारी ज्ञान।
4 तहतानिया (कक्षा १ से ५) स्तर	मौलवी या मुंशी या हाफिज या हाई स्कूल परीक्षा उद्दूँ के साथ दर्तीर्ण।
सहायक अध्यापक/अध्या- पिका	

नोट:- किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अरबी अथवा फारसी में फ़जिल, कामिल, आलिम,  
मौलवी, मुंशी तथा हाफिज के समकक्ष उपाधियाँ उक्त प्रयोजन हेतु मान्य होंगी।

१०—शिक्षकों की संख्या निम्न मानक के अनुसार होगी :—

(क) प्रत्येक मदरसे में संलग्न सभी कक्षाओं के लिए एक ही  
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक होगा।

प्रधानाचार्य के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों की संख्या निम्न मानक के अनुसार होगी :—

(क) तहतानिया (प्राइमरी स्तर)

60 छात्र तक कोई नहीं।

फिर छात्र संख्या के हर 40 या उसके अंश के लिए एक  
अध्यापक।

(ख) फौकानिया (जूनियर हाई स्कूल स्तर)

उपर्युक्त के अतिरिक्त 35 छात्र तक एक अध्यापक, 70 छात्र तक दो  
अध्यापक, 105 छात्र तक तीन अध्यापक आदि।

(ग) आनिया स्तर

उपर्युक्त के अतिरिक्त—

(i) मुंशी व कमिल (फारसी) हेतु 20 छात्र तक एक अध्यापक,  
40 छात्र तक दो अध्यापक आदि।

(ii) मौलवी, आलिम व फ़जिल (अरबी) हेतु 20 छात्र तक 1  
अध्यापक, 40 छात्र तक 2 अध्यापक आदि।

(घ) नियुक्त अध्यापकों में से एक तिहाई वैकल्पिक विषयों के  
अध्यापक होंगे।

**16—संदान व सुरक्षित कोष—**किसी मदरसे की मान्यता के लिए ₹० 5,000 का संदान नकद अथवा भूमि अथवा भवन के रूप में आवश्यक होगा। आलिया कक्षाओं के अतिरिक्त परीक्षाओं की मान्यता हेतु प्रति परीक्षा ₹० 1,000 का संदान आवश्यक होगा। नकद संदान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम प्लेज होना चाहिये। यदि संदान भूमि अथवा भवन के रूप में है तो मदरसे के प्रबन्धक को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लिखित पूर्व अनुमति के बगैर उसका हस्तान्तरण, विक्रय या अन्तरण नहीं किया जायेगा। मदरसे के लिए ₹० 2,000 का सुरक्षित कोष भी आवश्यक है। इस घनराशि को भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम प्लेज होना चाहिये।

**17—मदरसों में निम्नलिखित अभिलेख रखें जायेंगे—**

- ( 1 ) प्रवेश पुस्तिका (प्रवेश-पत्र सहित)
- ( 2 ) आय-व्यय की पंजिका (वाउचर गार्ड फाइल सहित)
- ( 3 ) उपस्थिति पंजिका (छात्र एवं शिक्षकाण्ण)
- ( 4 ) वेतन पंजिका
- ( 5 ) पुस्तकालय पंजिका एवं निर्गम पंजिका
- ( 6 ) स्टाफ पंजिका
- ( 7 ) आदेश पंजिका
- ( 8 ) प्रबन्ध समिति की कार्यवाही पंजिका
- ( 9 ) शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा पंजिका एवं चरित्र पंजी।

**18—मान्यता देने का आदेश रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी परीक्षाओं द्वारा दिया जायेगा। परन्तु इसके पूर्व एक मान्यता समिति द्वारा मान्यता के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा जिसका गठन निम्नवत् होगा :—**

( 1 ) शिक्षा निदेशक (बेसिक)	अध्यक्ष
( 2 ) शासन द्वारा नामांकित दो व्यक्ति	सदस्य
( 3 ) उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत), शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद।	सदस्य
( 4 ) रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षाएं, उ० प्र०, इलाहाबाद।	सदस्य सचिव

**19—मान्यता के लिए भवन, साज-सज्जा तथा पुस्तकालय सन्बन्धी नियमों के पूरा बहोने पर तथा निकट सविष्य में इसका पूरा करने का प्राश्वासन तथा उस सहायी मान्यता एक-एक वर्ष के लिए ही दी जा सकेगी।**

20—प्रबन्ध तंत्र द्वारा, गठित चयन समिति द्वारा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व शिक्षकों का चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करलेना आवश्यक होगा। सत्र के मध्य में रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां प्रबन्धाधिकरण द्वारा तदर्थ आधार पर दो मास के अन्दर कर ली जायेंगी। सहायक अध्यापक के चयन में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य भी चयन समिति के सदस्य होंगे।

21—प्रबन्धक तथा 'प्रधानाचार्य' के निम्नांकित निकट सम्बन्धितों की नियुक्ति नहीं की जायेगी :—

- (क) पुत्र/पुत्री
- (ख) माई/बहिन
- (ग) पति/पत्नी
- (घ) माता/पिता

22—किसी भी रिक्त पद पर (नव सृजित या अस्थाई या स्थाई रूप से रिक्त) नियुक्ति हेतु कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र, जिनमें एक अधिकारी स्तर का तथा एक प्रादेशिक स्तर का होगा, विज्ञापन दिया जायगा। विज्ञापन में योग्यता, आयु सीमा तथा वेतनक्रम आदि का विवरण होना अनिवार्य होगा। किसी ऐसे पद पर नियुक्ति नहीं की जायेगी जो विमाग द्वारा स्वीकृत न होगा।

23—नियुक्ति पत्र में अन्य विवरणों के साथ पद का नाम, वेतनक्रम, परिवीक्षणकाल तथा नियुक्ति के प्रकार का उल्लेख होगा।

24—शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पंजीकृत डाक से भेजे जायेंगे, साथ ही उनकी एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी, मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), निरीक्षक अरबी मदरसा, द० प्र०, इलाहाबाद को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति शिक्षक की पत्रावली में रखी जायेगी।

25—सहायक अध्यापक के लिये न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा प्रधानाचार्य के लिये 30 वर्ष होगी।

26—स्पष्टतः रिक्त स्थानों में नियुक्तियां परिवीक्षणकाल पर होंगी। परिवीक्षणकाल एक वर्ष का होगा। परिवीक्षणकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। प्रबन्ध तंत्र को परिवीक्षणकाल समाप्त होने के पूर्व सेवा मुख्त करने का अधिकार होगा।

27—प्रत्येक अध्यापक को नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी।

28—दक्षतागोक पार करने हेतु प्रबन्ध-तंत्र की अनुमति से नियमानुसार कार्यकाही की जायेगी।

29—अध्यापकों के ज्ञाय एवं व्यवहार तथा वार्षिक परीक्षाफलों की विचाराधीन रखकर ज्येष्ठता तथा योग्यता के अधार पर पदोन्नति दी जायेगी।

कोई अनियमितता होने पर निरीक्षक, अरबी मदरसा की अपील की जायेगी और उनका निर्णय अनिम होगा ।

30—मदरसे के प्रधानाध्यापक/प्रधानचार्य का रिक्त स्थान सीधी भर्ती द्वारा मरा जायेगा जिसके लिये मदरसे के कार्यरत अहे अध्यापक भी आवेदन-पत्र दे सकते हैं ।

31—अध्यापकों के 50 प्रतिशत रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा ही मरा जायेगा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

32—सहायता प्राप्त मदरसों के अध्यापकों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन एवं भत्ते देय होंगे ।

✓ 33—किसी कर्मचारी के विहळ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है तो कर्मचारी को स्पष्ट आरोप-पत्र दिया जायेगा । दोषी व्यक्ति को आरोप-पत्र पाने के तीन सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा मौका दिया जायेगा ।

✓ 34—यदि प्रबन्धाधिकरण द्वारा किसी अध्यापक/कर्मचारी को सेवा से प्रदूङ्क करने का निर्णय लिया जाता है तो निष्कासन से पूर्व विधिक कार्यवाही आवश्यक होगी । पुरी कार्यवाही के विवरण निरीक्षक, अरबी मदरसाज, ७० प्र०, इमाहाबाद को प्रेषित करने होंगे । यदि कार्यवाही में कोई अनियमितता पायी गयी तो निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वह अपन सुझाव प्रबन्ध समिति को

३४—उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर रजिस्ट्रार, अरबी-फारसी परीक्षाएं, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा संस्था को नोटिस देने के उपरान्त नियमित लवधि में प्राप्त उत्तर के असन्तोषजनक होने या उत्तर न आने पर मान्यता समिति द्वारा प्रदत्त मान्यता का प्रत्याहरण किया जा सकेगा ।

३९—किसी भी प्रकार के शासकीय अनुदान के लिए केवल स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसे ही अहं होंगे । अनुदान सूची पर आने के लिए संस्था द्वारा आवेदन करते समय यह देखा जायेगा कि मान्यता की शर्तों का पूर्ण पालन हो रहा है । प्रदत्त अनुदान का दुरुपयोग या दुविनियोग करने अथवा कोई अन्य घन्घीर त्रुटि करने पर अनुदान का निलम्बन किया जा सकेगा और अनुदान की घनराशि संबंधित वेशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आहरित करके सौधे संस्था के विधिवत् नियुक्त व कार्यरत अध्यापकों को उनके वेतनादि के देय के रूप में बांटी जा सकेगी ।

४०—संस्था की स्थायी मान्यता के प्रत्याहरण की स्थिति में संस्था को कोई अनुदान मान्यता के प्रत्याहरण की तिथि से देय न होगा ।

४१—किसी शास्त्रा या उप शास्त्रा की मान्य नहीं समझा जायेगा । प्रत्येक को अलग मान्यता प्राप्त करनी होगी ।

४२—रजिस्ट्रार, अरबी तथा फारसी परीक्षाएं, उ० प्र०, इलाहाबाद के कल्यालिय में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों का एक रजिस्टर रखा जायेगा । प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये नया रजिस्टर रखा जायेगा । वर्ष के अन्त तक जो आवेदन-पत्र विचाराधीन हो, उन्हें उत्तरवर्ती वर्ष के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा ।

४३—असाधारण परिस्थितियों में नियमावली के एक या विशिष्ट नियमों को विधिल करने का शासन को अधिकार होगा ।

एल० एस० गौतम,  
संयुक्त सचिव ।

उत्तर औग पृकाश,  
तपिव,  
उत्तर पुर्वी शोभा!

x.

निदेशक  
शुत्रात्मक लक्षण निदेशालय,  
शुत्रात्मक लक्षण।

लोकान् इवं तक्तु अनुभाग-३ लंबितज्ञः दिनांके १५ मई, १९९८  
अरबी तथा फ़ारसी मदरसों की मान्यता तथा सेवा नियमावली।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शिक्षा विभाग द्वारा निम्नोत्तर संख्या-3367/15-17-87-5365४/86, दिनांक 22 अगस्त 1987 द्वारा लागू की गयी भर्बी फारसी मदरसों की मान्यता नियमावली में श्री राज्याल महोदय शास्त्राध्यन को अनुमोदित करते हैं; संशोधित नियमावली इनान्टटेटप्टरी ४ की प्रति संलग्न है।

नियमावली के संगोप्त प्राविधान तत्काल प्रभाष से लागू होंगे।

शक्तिपूर्ण

४३० ओम पृकाश  
ताहिव।

त्रिभुवा-३२०। १८/५२-३-९८-२। ४६। ९७ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

गिरा निदेशळ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२-समता जिला भृत्यतंखड़क कल्पाप अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

जित्यादि अर्थी कार्यकी भद्रताज, उत्तर पुदेश, इलाहाबाद।

जित्यादर, अरबा फारस। गदरताप,  
हिंसेखल्कम् उच्चर पदेषा इताहावद।

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

— नेश्वर, स्थानीय निवास लखा, पर  
— दिल्ली — फ़िरांवाह अमरगढ़।

वित्त एवं व्यप नियंत्रण अनुग्रह-।।  
मुख्यमंदिरकार्यालय, अस्सीराज्य कल्पाण, ३०५०, लखनऊ

卷之三

३८५

संख्या: ३२०/बाबन-३-१-२४६८/१९७१

लखनऊ: दिनांक: ३१: मार्च: १९७१। वार्षिक अंदाज़ ३०

मुद्री कुटुंब नियुक्ति-प्राप्ति-सिद्धि-कार्यालय द्वाप:

प्रदेश के गरीबी-तथा-पारसी-स्तरों से सम्बन्धित राजाज्ञा: ३३६७/१९७१-१९७२/५३५५/८६। दिनांक २२ अगस्त, १९७१ हारा। नियुक्ति ग्रन्था एवं ग्रन्थालय नियुक्ति-प्राप्ति-सिद्धि-कार्यालय द्वाप: ३३६७/१९७१-१९७२/५३५५/८६। दिनांक

निया १:

वार्षिक नियम

क्रमसंख्या

पदनाम

शैक्षिक घोग्यता

१- प्रपात्ताप्यापक/प्रधानावर्षी  
जालिया४

एक तर्फ में काजिल या कामिल अध्या  
गुरबी या फारती से बी०६०/इत्थाके साथ  
पांच वर्ष जालिया अर्हात् मुंजी, मौलवी  
अध्या उद्यतर क्लासों का प्रीक्षण जनुग्रह

२- जालिया स्तर

१क४ सहायक/अध्यापक/  
अध्यापिका

फाजिल या कामिल अध्या गुरबी या  
फारती से बी०६०/इत्थाके साथ तीन वर्ष  
का कौकानिया४ कृष्णा६ से ४ स्तर४  
क्लासों का प्रीक्षण जनुग्रह

४ख४ वैकल्पिक विषय  
अध्यापक/अध्यापिका

हिन्दी

अंग्रेजी

तिब

ए०६०४ इन्टर्डी४त्था उर्दू का कार्यकारी  
स्प०६०४ अंग्रेजी ४त्था उर्दू का कार्यकारी  
काजिल तिब ४त्था परीक्षा।

३- कौकानिया४ कृष्णा६ से ४ स्तर४

१क४ सहायक/अध्यापक/  
अध्यापिका

४ख४ वैकल्पिक विषय

अध्यापक/अध्यापिका

हिन्दी

अंग्रेजी

जालिया या कामिल अध्या गुरबी या  
फारती ते इन्टरमी४डिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण

प्रशिक्षित इन्टर हिन्दी साहित्य के  
साथ४त्था उर्दू का कार्यकारी ज्ञान  
प्रशिक्ष इन्टर अंग्रेजी साहित्य के साथ  
तथा उर्दू का कार्यकारी ज्ञान

४- तहतानिया४ कृष्णा६ से ५ स्तर४

सहायक/अध्यापक/अध्यापिका

मौलवी या मुंजी या हाफिज़ या हाईर  
परीक्षा उर्दू के साथ४त्थीर्ण

नोट:- किली चिश्विधालय ज़िला विश्वविद्यालयों से समझता प्राप्त प्राप्ति  
दारा गुरबी तथा फारती में काजिल, ज्ञामिल, जालिया४, मुंजी तथा हाई  
समझउपाधियाँ उक्त प्रयोगन हेतु मान्य होगी तथा गुरबी योग्यता में ५५%

अंक होना अनिवार्य होना।

लंगोधिन नियम

शैक्षिक योग्यता

नियमित का प्राप्तार

प्रदत्ताम

सहायक/अध्यापक  
योग्यानुयायी

फाजिल या समझ या अरबी या  
फारसी में एम०ए०तथा आनुयायी  
कक्षाओं का उत्तर्ष का शिक्षण  
अनुभव

सीधी भर्ती द्वारा

नियम तर  
सहायक/अध्यापक/  
अध्यापिका

फाजिल या समझ या अरबी या  
फारसी से एम०ए० तथा तीन वर्ष  
का फौकानिया स्तर कक्षाओं का  
शिक्षण अनुभव

50 प्रतिशत प्रोन्टि के  
आधार पर निर्धारित  
शैक्षिक योग्यता वाले  
अभ्यर्थियों से भरा जाएगा

वैकल्पिक विषय  
अध्यापक/अध्यापिका

सांवन्धित विषय में फाजिल /  
समझ अथवा एम०ए० कुउदू में  
कार्यकारी ज्ञान सहित

कानियां 6 से 8 तक र  
कैप्पानाध्यापक  
फौकानिया

फाजिल/समझ अथवा अरबी या  
फारसी से बी०ए०/इतके साथ तीन  
वर्ष का फौकानिया 'कक्षा' 6 से 8 तक र  
कक्षाओं का शिक्षण अनुग्रह

सीधी भर्ती द्वारा

खगड़ायक अध्यापक/  
अध्यापिका

कामिल/समझ अथवा अरबी या  
फारसी से बी०ए० परीक्षा उत्तीर्ण

50 प्रतिशत प्रोन्टि के  
आधार पर निर्धारित  
शैक्षिक योग्यता वाले  
अभ्यर्थियों ने भरा जाएगा

वैकल्पिक डिप्लो

वैकल्पिक विषय में प्रशिक्षित  
स्नातक अथवा समझ उदू के  
कार्यकारी ज्ञान सहित

50 प्रतिशत प्रोन्टि के  
आधार पर निर्धारित  
शैक्षिक योग्यता वाले  
अभ्यर्थियों से भरा जाएगा

तहतानुयायी कक्षा 1 से 5 तक र  
कैप्पानाध्यापक  
तहतानिया

जालिम अथवा अरबी या फारसी  
से इंटरमीडिस्ट परीक्षा उत्तीर्ण  
तथा तहतानुयायी त्तर की कक्षाओं  
में तीन वर्ष के शिक्षण का अनुभव  
सीधी भर्ती द्वारा

50 प्रतिशत प्रोन्टि के  
आधार पर निर्धारित  
शैक्षिक योग्यता वाले  
अभ्यर्थियों का बी०टी०सी०  
य०टी०सी०/मोअल्लम उदू  
अथवा जिती मान्यता  
प्राप्त तंत्या से प्रशिक्षित  
होना अनिवार्य है।

खगड़ायक अध्यापक/  
अध्यापिका

जालिम अथवा तमक्ष या हाफिज  
या इंटरमीडिस्ट उदू सहित।

सीधी भर्ती द्वारा

### वर्तमान गिराम

उग्र, आलिया तत्त्वार

पृष्ठका के अतिरिक्त

मुंगी एँड कोणिल फ़ारसी हेतु 20

ताल/अध्यापक, 40 छात्र तक दो

प्रापक जांदि

मोलवी, जालिम व फ़ाजिल गरबी है

20 छात्र तक स्कूल अध्यापक, 40 छात्र

दो प्राप्तक, जांदि

नियम 11:

तहत अनियां व फौकानियां के लिये

5 कमरे  $20 \times 15$  अथवा 300 वर्ग फीट के

आलिया क्षात्रों के लिये 2 कमरे

$20 \times 15$  अथवा 300 वर्ग फीट के

प्राप्ताध्यापक, प्रतकाल्प तथा

लायलिप के लिये 3 कमरे  $15 \times 10$

अथवा 150 वर्ग फीट के।

नियम 13:

न्यूनतम छात्र संख्या आलिया क्षात्रों हेतु

8 व शेष क्षात्रों हेतु 60 कुल 68 होगी।

उपरोक्त सीमा तक राजाज्ञा

2 अगस्त, 1997 उपरोक्त सीमा तक संशोर्ण

मिल रहेगी।

३८७:१५-१६-८५-८५३(८)-४६. विश्वालू रुद्र अग्रह २३.८७ शता विश्वा प्रस्त्रा रुद्र संवा विष्वावती  
आके तथा फातो, उला एदेश का समोत्तम।

उपग्रह नियन्त्रण संलग्न: ३३८-१०-१८५८५४३(८)८६, लिंगार्जुन २२ अगस्त १९६६ के दूषण  
मूल्य = चन गः आर्या नवा ज्ञातसे न्वासों को नवयता एवं संबंध गः स्वर्वभिन्न नियन्त्रण लगा है। नियन्त्रित विषय नवे हैं  
लिंग वर्तीय वैदुषी यह कहते हैं कि शिथा चिप्टल के शारानन्ध ज्ञा नवज्ञा:  
लिंग ३१-८८-१८५८५६, लिंग ३१ इनव्या, १९६६ ध्वारा प्रदर्शन अर्या नवा गार्या भट्टासे संस्कृतिद  
के चन दिन विज्ञान से अन्वयन्त्रित कल्याण एवं उन्हें क्षिप्त को हानार्नात किए रा नुक्के हैं। एन्ड्रु अग्रवा  
ना नामे न्वासे न्वासे न्वासे व्यारो व्या नवा उपग्रहस मर्टिनित नवयता एवं संबंध नियन्त्रण १९८५ व ग्राम्य ग्राम्यपन न  
लम्बे ज्ञाण, नास्ति एवं संबंध रस्ताओं भानको के लिंगाये वैदुषन व्यवहारिक विवरणों वा दूर लंबे छेत्र  
लिंगत लिंग वैदुषन इन्हा अवश्यक है। अदः नवान्वित यज्ञासाम गतिदय, उद्दर्जितव्यान्वितों वैदुषन १२ वै  
दुषन लिंगायों का प्रयोग करते हुये भास्यता एवं संबंध नियन्त्रणी, अर्या नवा ग्राम्य ग्राम्य उन्हें प्रशंशा के लिंग  
११६, १८, २४, ३५ व ३०, द्वे लिंगाये वर्तीय विवरणों हेतु नृत्यान्वित प्रधान में एवं व्यास्ति प्रदान करते

किन्तु ये अद्वितीय समस्या में राजनीतिक विद्या के अनुदार होता

वर्षानि नियम

ग्रन्थालय

मन्दिर देख ल्पेद रिद्दि  
अक्षिट्य एवं अक्षिट्न प्रभु का  
दो श्रावियाँ का  
दृश्य १५ लप्त्य  
दोष

नायना दे तिरं विधान शुक्र  
आनन्दप-

ਤੁਹਾਂ (ਮਾਨਸ) ਵਿਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

द्वितीय निषिद्धि ॥ १०८ स्थान

प्रियोगी का व्यवहार

उत्तर गोपनी नवा विजय कामा  
नेपाली शार्की दो

५४८

ਵੀਂ ਏਸ਼ੋਸੀਨਾ

## प्रमुख सचिव

ॐ प्राण ।

सेवा में

निदेशक

## अल्पसंख्यक कल्याण

उत्तरप्रदेश लखनऊ ।

संख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुसंधान-3, लखनऊ : दिनांक २५ जनवरी, 2010

**विषय:**—अरबी तथा फारसी मदरसा नियमावली—1987 एवं 2000 (संशोधन) में संशोधन कर राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों में लिपिक पद की शैक्षिक योग्यता एवं नियुक्ति के रांबंध में संशोधन।

महोदय,  
राज्यानुदानित अरबी फारसी मदरसों में लिपिक पद के वेतनमानों के संशोधन के संबंध में दड़ संख्या-22394-96/भान्यता एवं सेवा संघ (ए) १० डिसंबर ०१.०७.२००८ का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

नियमावली-10(25) / 03 दिनांक 04.07.2008 का पृष्ठा सदृश प्रहरण का।  
 2- इस सबध मेरुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यानुदानित  
 अरबी-फारसी मदरसों मेरुलिक पद के वेतनमानों के संशोधन विषयक  
 शासनादेश संख्या-2147 / ३०३-३०५-२४६) / 97 दिनांक 13.10.2008 के कम  
 मेरुशिक्षा विभाग द्वारा निर्गत इस्तादेश संख्या-3367 / 15-17-97-53(5)86  
 दिनांक 22.08.1987 द्वारा हस्ताक्षर की अरबी तथा फारसी मदरसों की  
 मान्यता नियमावली संशोधित 1333 एवं 2000 की धारा-9 मेरुलिपिक पद की  
 शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव का समावेश ७(क) के रूप मेरुकरने की श्री  
 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

9(क) लिपिक पद की शैक्षिक योग्यता तर्वं नियुक्ति का प्रकार

पद का नाम	शैक्षिक अर्हता	भर्ती की विधि
लिपिक	<p>1-उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद से आलिम अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 की इंटर मीडिएट परीक्ष।</p> <p>2-हाई स्कूल परीक्षा उर्दू विषय में अथवा उसके समकक्ष परीक्षा</p>	सीधी भर्ती द्वारा

गोट— लिपिक पद के लिये न्यूनतम आयु रीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु लोगा 30 वर्ष होगा।

3— राज्यसभा के अरबों फारसी मदरसों में लिपिक पद के संशोधित वेतनमान इसका दृष्टि—संख्या—डे.आ.—2—643(II) / दस—2007—44 / 2001टी.0.री. दिनांक 19.06.2008 इच्छाने के निर्गत शासनादेश संख्या—2147 / 52—3—08—02(46) / 97 दिनांक 13.10.2008 के क्रम में अनुमत्य कराने का कष्ट करें।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई—11—58 / दस—10 दिनांक 19.01.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एम0मोना)

प्रमुख सचिव

संख्या— 5323(1) / 52—3—08तद्वितांक।

प्रतिक्रिया— निम्नलिखित क्रो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—आमुज़ रवं संघ, समाज कल्याण विभाग।

2—आमुज़ रवं संघ, माध्यमिक शिक्षा / बेसिक शिक्षा विभाग।

3—प्रमुख सचिव, राज्यसभा एवं जनसम्पर्क विभाग।

4—समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

5—समस्त दूरध्वं विभाग अधिकारी।

6—समस्त दूरध्वं विभाग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त दूरध्वं विभाग अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—राजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश सांख्यिकीय विभाग।

9—राजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

अनुमान—2

आज्ञा से